न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामा पुत्र फुआ, जाति राजपूत, निवासी सालगांव, आबूपर्वत		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 125,136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 01/2026

दिनांक 12. 2.**2026**

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सालगांव के खाता संख्या नया 55 पुराना 52 की जमाबंदी में प्रार्थी का सही नाम रामा पुत्र फुआ दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से खाता संख्या नया 76 पुराना 70 में रामा पुत्र फुआ के स्थान पर रामा पुत्र फुवा एवं खाता संख्या नया 20 पुराना 18 में रामा पुत्र फुआ के स्थान पर रामा पुत्र कूपासिंह दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा खाता संख्या पुराना 70 नया 76 एवं खाता संख्या पुराना 18 एवं नया 20 में पिताजी का सही नाम फुआ करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत की मौका फर्द दिनांक 04.12.2025 के अनुसार उपस्थितों ने बताया कि ग्राम सालगांव के खसरा नंबर 246,247,249,251,254,255,256 कुल 7 किता में रामा पुत्र फुआ एवं खसरा नंबर 269 में रामा पुत्र फुवा एवं खसरा नंबर 83 में रामा पुत्र कूपासिंह दर्ज है। ग्रामवासियों ने बताया कि इनका सही नाम रामा पुत्र फुआ है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम फुआ है। अतःमौजा ग्राम सालगांव तहसील देलदर जिला सिरोही के खाता संख्या नया 76 पुराना 70 खसरा नंबर 269 एवं खाता संख्या पुराना 18 एवं नया 20 खसरा नंबर 83 में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र फुआ दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेशानुसार जमाबंदी में अप्रार्थी सुधार करे।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी)
आबूपर्वत

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / दिनांक

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी)
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:47 IST
Reason: SelfAttested